ए.

मेसर्स नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड।

वी.

S.AMBIKA देवी और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 7357-7376 2010)

बी.

06 मार्च, 2020

[मोहन एम. शांतनागौदर और

आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986। 2 (घ) शिकायतकर्ता -

प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया

एस.

और उसके फ्रेंचाइजी-समझौते के अनुसार, प्रत्यर्थी ने खरीदा 750 अपीलार्थी से बुवाई के लिए गीली मुसली का किलोग्राम, की दर से

रु. 400 / - प्रति किलोग्राम, और उसी की खेती उसकी भूमि में की जाती है-अपीलार्थी

उपज को न्यूनतम रुपये की कीमत पर वापस खरीदना था। 1000 / - प्रति

प्रत्यर्थी से किलोग्राम-अपीलार्थी उसे वापस खरीदने में विफल रहा

डी उत्पाद-जिसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी ने एक उपभोक्ता को दर्ज किया

शिकायत-जिला फोरम ने शिकायत को खारिज कर दिया और मामला दर्ज किया

कि वही बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि प्रतिवादी एक नहीं था

' अधिनियम, 1986 के अर्थ के भीतर उपभोक्ता-राज्य

आयोग ने जिला मंच द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और

अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी अधिनियम 1986 के तहत एक 'उपभोक्ता' था -

ई.

राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के निष्कर्ष को बरकरार रखा

अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः यह उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले में निपटाया जाता है

-

लक्ष्मी इंजीनियरिंग कि बीज द्वारा वापस खरीदने के लिए एक समझौता

एक किसान द्वारा उगाई गई फसल की कंपनी को एक नहीं माना जा सकता है पुनर्विक्रय लेनदेन और उसे इसके दायरे से बाहर नहीं लाया जा सकता है

च अधिनियम, 1986 के तहत एक 'उपभोक्ता' होने के नाते केवल इस आधार पर

-

तत्काल मामले में भी, यह तथ्य कि एक पुनर्खरीद समझौता था

मुस्लिम फसल उत्तरदाता को दायरे से बाहर नहीं लाएगी

पुनर्खरीद प्रस्तुत करके उपभोक्ता की परिभाषा

पुनर्विक्रय लेन-देन की व्यवस्था करना या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होना

प्रतिवादी को अपनी उपज को खुले में बेचने की स्वतंत्रता थी।

जी.

बाजार भी अगर वह बेहतर कीमत प्राप्त करने में सक्षम थी-हालाँकि,

यह पहलू इस निष्कर्ष से दूर नहीं होगा कि

प्रतिवादी ने मुस्लिम फसल उगाने के लिए एक समझौता किया था

आजीविका कमाने के उद्देश्य से, क्योंकि एक कृषक

आजीविका कमाने के लिए हमेशा अपनी उपज बेचना पड़ता है।

एच.

इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है जिसमें पुष्टि की गई है कि प्रतिवादी अधिनियम, 1986 के अर्थ के भीतर एक 'उपभोक्ता' है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

खरीदार द्वारा की गई गतिविधि में सहायता स्वचालित रूप से वाणिज्यिक गतिविधि को स्व-रोजगार और अपनी आजीविका कमाने के लिए नहीं बनाएगी; बल्कि, इसे किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निर्धारित करना होगा। [पैरा 8.2] [351-एच; 352-ए] 2. हाथ में मामले में, हालांकि अपीलार्थी ने यह पेश करने की मांग की है कि प्रत्यर्थी एक बड़े पैमाने पर मुसली की खेती कर रहा था

पैमाने और लाभ के उद्देश्य से, यह न्यायालय खुद को यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ पाता है कि की जा रही खेती स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए थी।

[पैरा 9] [352-बी]

3. हाथ में दिए गए बीज जैसे मामलों में, कृषक बीज कंपनी या कंपनी से नींव के बीज खरीदता है। स्वयं पहुँचते हैं और किसानों से बीज उत्पन्न करने का अनुरोध करते हैं ताकि वे इसका विपणन कर सकें। इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करके, और बीज कंपनी से नींव के बीज खरीदने के बाद, कृषक, कड़ी मेहनत और पसीने के साथ, बीज कंपनी द्वारा विपणन के लिए बीज का उत्पादन करता है। इस प्रकार, कृषक किसी भी उत्पाद को पुनर्विक्रय नहीं कर रहा है, बल्कि नींव के बीजों का उपयोग करके अपना उत्पाद उगाता है। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि

कृषक को अपने उत्पाद को खुले बाजार में या बीज कंपनी को बेचना पड़ता है, जैसा भी मामला हो।

आजीविका। दूसरे शब्दों में, कृषक अपने उत्पाद को बेचकर खुद को बनाए रखता है। इसे धारा 2 (डी) के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे से बाहर लाने वाले "वाणिज्यिक उद्देश्य" को आगे बढ़ाने के लिए पुनर्विक्रय या गतिविधि नहीं कहा जा सकता है। बल्कि, यह विशुद्ध रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से है। [पैरा 9.1] [352-सी-ई]

4. लक्ष्मी इंजीनियरिंग के मामले में यह स्पष्ट है कि उगाई गई फसल की बीज कंपनी द्वारा पुनर्खरीद के लिए एक समझौता [2020] 5 एस. सी. आर.

एक किसान द्वारा पुनर्विक्रय लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता है, और उसे केवल इस आधार पर 1986 के अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" होने के दायरे से बाहर नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार, तत्काल मामले में भी, यह तथ्य कि मुस्लिम फसल के लिए पुनर्खरीद समझौता था, प्रत्यर्थी को पुनर्खरीद व्यवस्था को पुनर्विक्रय लेनदेन या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करके "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे से बाहर नहीं लाएगा। यह न्यायालय इस बात पर जोर देने के लिए जल्दी करता है कि यहाँ की तथ्य स्थिति मधुसूदन से इस हद तक अलग हो जाती है कि तत्काल मामले में,

उत्तरदाता को अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता थी यदि वह बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम थी। हालाँकि, यह पहलू इस निष्कर्ष से दूर नहीं होगा कि उत्तरदाता ने आजीविका कमाने के उद्देश्य से मुस्लिम फसल उगाने के लिए एक समझौता किया था, क्योंकि वह एक कृषक था।

अपनी आजीविका कमाने के लिए हमेशा अपनी उपज बेचना पड़ता था। [पैरा 10.1] [354-बी-डी]

लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम। पीएसजी औद्योगिक संस्थान (1995) 3 एससीसी 583 [1995] 3 एससीआर 174-पर निर्भर था।

शक्ति शुगर लिमिटेड. उड़ीसा बनाम। श्रीधर साहू, II (1999)

सीपीजे 4 (एन. सी.)-गलत कानून माना गया।

विमको लिमिटेड बनाम। अशोक सेखों, द्वितीय (2008) सीपीजे 210 (एनसी)

- प्रतिष्ठित। सिंको टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड वी. ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड (1991) 1 सी. पी. जे. 499; ओसवाल फाइन आर्ट्स बनाम। एचएमटी (1991)

1 सी. पी. जे. 330; सचिव, उपभोक्ता मार्गदर्शन और

रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाम बी. पी. एल. इंडिया लिमिटेड (1992) 1 सी. पी. जे. 140 (एन. सी.); राजीव मेटल वर्क्स बनाम। भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (1996) 9 एस. सी. सी. 422:

[1995] 6 पूरक। एस. सी. आर. 118; राष्ट्रीय बीज निगम। लिमिटेड वी. मधुसूदन रेड्डी (2012) 2 एससीसी 506: [2012] 2 एससीआर 1065; फल और सब्जी परियोजना, नई दिल्ली बनाम।

एन. शंकर रेड्डी, III (1994) सीपीजे 163 (एनसी); नारायणराव चव्हाण बनाम। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड [2012] एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी. 7-संदर्भित।

मेसर्स नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड। वी. S.AMBIKA देवी और ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

[1995] 3 एससीआर 174

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

(1991) 1 सीपीजे 499

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

(1991) 1 सीपीजे 330

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

(1992) 1 सीपीजे 140 (एनसी)

[1995] 6 पूरक। एससीआर 118

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.2

[2012] 2 एससीआर 1065

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

(1999) सीपीजे 4 (एनसी)

गलत कानून पैरा 13

(1994) सीपीजे 163 (एनसी)

पैरा 13.1

संदर्भित किया गया है

(2008) सीपीजे 210 (एनसी)

प्रतिष्ठित

पैरा 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 7357

7376 2010 से।

राष्ट्रीय संविधान के 15.04.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आर. पी. संख्या में नई दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। 3334-3353 2008 से।

राघेंथ बसंत, सुश्री लिज़ मैथ्यू और सुश्री सोनाली जैन, अधिवक्ता।

अपीलार्थी के लिए।

संतोष पॉल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रंजीत के. सी., बॉबी ऑगस्टीन, जोशुआ

जोसेफ और सुभ्रांशु दास, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

सिविल अपील सं. 7357/2010

1. दिनांकित 15.04.2009 आदेश के खिलाफ तत्काल अपील उठती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली ("राष्ट्रीय आयोग") द्वारा पारित, केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के दिनांकित 28.04.2008 आदेश की पुष्टि करते हुए

राज्य आयोग) जिला मंच, कोझिकोड के आदेश को दरकिनार करते हुए शिकायत को खारिज कर दिया और मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए जिला मंच को भेज दिया।

2. इस अपील के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.1 शिकायतकर्ता (यहाँ प्रतिवादी) एक छोटा भू-धारक है जिसने अपीलार्थी द्वारा जारी विज्ञापनों का जवाब दिया।

कंपनी, 2003 में, एक औषधीय फसल, सुरक्षित मुसली को आकर्षक कीमतों पर वापस खरीदने के संबंध में। उन्होंने दिनांकित एक त्रिपक्षीय समझौता किया 15.01.2004 अपीलार्थी और उसकी फ्रेंचाइजी मेसर्स हर्बज़ इंडिया के साथ। समझौते के अनुसार, प्रतिवादी ने 750 किलोग्राम गीली मुसली खरीदी।

अपीलार्थी से रुपये की दर से बुवाई। 400 / - प्रति कि. ग्रा., और अपनी भूमि में उसी की खेती की। अपीलार्थी को न्यूनतम रुपये की कीमत पर उपज वापस खरीदनी थी। 1,000 / - प्रत्यर्थी से प्रति किलोग्राम। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर अपीलार्थी की ओर से लापरवाही और अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई कि अपीलार्थी अपनी उपज वापस खरीदने में विफल रही, जिससे फसल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया।

2.2 जिला मंच ने शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ("1986 अधिनियम") के अर्थ में "उपभोक्ता" नहीं था। प्रत्यर्थी की अपील पर, राज्य आयोग ने खारिज कर दिया

जिला फोरम द्वारा पारित आदेश, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी 1986 के अधिनियम के तहत एक "उपभोक्ता" था, और गुण-दोष पर निपटान के लिए मामले को जिला फोरम को भेज दिया। यह वह आदेश है जिसे राष्ट्रीय आयोग द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी।

2.3 राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए कहा कि पक्षों के बीच किए गए समझौते उत्पाद की बिक्री और सेवा प्रदान करने दोनों की प्रकृति के थे, क्योंकि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी को उगाने के लिए गीली मुसली प्रदान करने के लिए सहमत हुआ था, जो उसके मताधिकार से तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन द्वारा पूरक था, और आगे अतिरिक्त लागत पर फसल का बीमा करने के लिए सहमत हुआ था। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी लगभग डेढ़ एकड़ भूमि का मालिक था, जिसने अपनी आजीविका के लिए मुसली की खेती शुरू की थी, राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि समझौता प्रत्यर्थी के वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया था। पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था

रुपये की लागत। 2,500 / - अपीलार्थी पर अधिरोपित, जो प्रत्यर्थी को देय है।

2.4 राष्ट्रीय आयोग के उपरोक्त आदेश के खिलाफ तत्काल अपील दायर की गई है।

3. हमसे पहले, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री राघेंथ

बसंत ने तर्क दिया कि प्रतिवादी एम/एस नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड के रूप में परिभाषित "उपभोक्ता" नहीं था।

वी. S.AMBIKA देवी और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

1986 के अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया था कि त्रिपक्षीय समझौते में प्रत्यर्थी द्वारा मुसलमान को वापस खरीदने की परिकल्पना की गई थी।

अपीलार्थी, जो पुनर्विक्रय राशि है, जिसे धारा 2 (घ) के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरा, यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा मुसली की खेती और बिक्री एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए थी न कि आजीविका कमाने के उद्देश्य से, और इसलिए धारा 2 (डी) के दायरे से बाहर रखा गया था। 4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, श्री संतोष पॉल ने तर्क दिया कि मुसली की खेती वाणिज्यिक स्तर पर नहीं की जा रही थी, बल्कि पूरी तरह से एक गरीब कृषक द्वारा आजीविका के लिए किए गए स्व-रोजगार के आधार पर की जा रही थी, और इसलिए ऐसी खेती की जा रही थी।

यह 1986 के अधिनियम की धारा 2 (डी) के स्पष्टीकरण के तहत "वाणिज्यिक उद्देश्य" के अर्थ में नहीं आता है।

5. दोनों पक्षों के वकील को सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

6. स्पष्ट रूप से, हमारे सामने विचार करने के लिए एकमात्र पहलू यह है कि क्या प्रतिवादी को परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया था

" उपभोक्ता "1986 अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होने वाले विषय लेनदेन के कारण।

7. 1986 की धारा 2 (डी) के तहत "उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा का उल्लेख करके हमारी चर्चा शुरू करना उचित होगा। अधिनियमः

" ((घ) "उपभोक्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो

((i) किसी भी वस्तु को उस प्रतिफल के लिए खरीदता है जिसका भुगतान किया गया है या

वादा किया गया या आंशिक रूप से भुगतान किया गया और आंशिक रूप से वादा किया गया, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तुओं का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो ऐसी वस्तुओं को खरीदता है। भुगतान किया गया या वादा किया गया या आंशिक रूप से भुगतान किया गया या आंशिक रूप से वादा किया गया या स्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसा माल प्राप्त करता है; या

((ii) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत किसी भी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए प्रतिफल के लिए सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है, या [2020] 5 एस. सी. आर.

आंशिक रूप से भुगतान और आंशिक रूप से वादा किया गया, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत, जब ऐसी सेवाओं का लाभ उठाया जाता है प्रथम उल्लिखित व्यक्ति का अनुमोदन लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है;

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक

उद्देश्य "में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए और उपयोग किए गए सामान का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से स्वयं के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं हैं।

रोजगार "(जोर दिया गया)

इस न्यायालय द्वारा पहली बार लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम में विचार किया गया था। पीएसजी औद्योगिक संस्थान, (1995) 3 एससीसी 583। इस मामले में, न्यायालय ने नोट किया कि 1993 के संशोधन से पहले भी, राष्ट्रीय आयोग एक सुसंगत दृष्टिकोण अपना रहा था जो मोटे तौर पर संशोधित परिभाषा के अनुरूप था, अर्थात केवल वे व्यक्ति जो सामान खरीदते हैं या लाभ उठाते हैं।

लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर गतिविधि करने के लिए सेवाओं को "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाएगा [सिंको टेक्सटाइल्स प्राइवेट देखें। लिमिटेड वी. ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड, (1991) 1 सी. पी. जे. 499; ओसवाल फाइन आर्ट्स बनाम। एचएमटी, (1991) 1 सीपीजे 330; और सचिव, उपभोक्ता मार्गदर्शन और अनुसंधान सोसायटी भारत का वी। बी. पी. एल. इंडिया लिमिटेड, (1992) 1 सी. पी. जे. 140 (एन. सी.)]।

8.1 इस आधार पर, इस न्यायालय ने पुष्टि की कि संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था, और यह कि हालांकि जिस उद्देश्य के लिए माल खरीदा गया है या प्रदान की गई सेवाओं के बारे में सवाल एक है

" प्रत्येक मामले के तथ्यों पर वाणिज्यिक उद्देश्य का उत्तर दिया जाना है, एक व्यक्ति जो माल खरीदता है और स्वयं का उपयोग विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के उद्देश्य से करता है, वह 1986 के अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे में आएगा, भले ही ऐसा उपयोग वाणिज्यिक उपयोग हो। इस संबंध में, लक्ष्मी इंजीनियरिंग में न्यायालय

देखा गयाः

" 11. ..... एक व्यक्ति जो टाइपराइटर या कार खरीदता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग करता है, वह निश्चित रूप से एक उपभोक्ता है, लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरों के काम को विचार के लिए टाइप करने के लिए या कार को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए टाइपराइटर या कार खरीदता है, उसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए टाइपराइटर/कार का उपयोग करने वाला कहा जा सकता है। व्याख्या हालांकि स्पष्ट करती है कि
कुछ स्थितियों में, वाणिज्यिक नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड के लिए माल की खरीद।

वी. S.AMBIKA देवी और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

'उद्देश्य' अभी तक खरीदार को 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं निकाल पाएगा। यदि वाणिज्यिक उपयोग स्वयं खरीदार द्वारा स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो माल का ऐसा खरीदार अभी भी एक 'उपभोक्ता' है। में

ऊपर दिया गया चित्रण, यदि खरीदार स्वयं काम करता है

टाइपराइटर या कार को खुद टैक्सी के रूप में चलाता है, वह उपभोक्ता बनना बंद नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यदि माल का खरीदार अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वयं, यानी स्व-रोजगार द्वारा, उनका उपयोग करता है, तो इसे "वाणिज्यिक उद्देश्य" के रूप में नहीं माना जाएगा और वह अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता नहीं रहेगा। स्पष्टीकरण इस प्रश्न को कम कर देता है कि "वाणिज्यिक उद्देश्य" क्या है, प्रत्येक मामले के तथ्यों में तय किए जाने वाले तथ्य के प्रश्न के लिए। यह मूल्य नहीं है

उस माल का जो महत्वपूर्ण है लेकिन उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए माल

अर्थात्। , “ विशेष रूप से कमाई के उद्देश्य से उन्हें स्वयं "", का उपयोग करता है उनकी आजीविका "और" स्व-रोजगार के माध्यम से "संसद की मंशा को बहुत स्पष्ट करती है, कि माल खरीदा गया था।

इसका उपयोग खरीदार द्वारा स्वयं के लिए नियोजित करके किया जाना चाहिए।

अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। कुछ और चित्र काम आएंगे

हम जो कहते हैं उस पर जोर दें। एक व्यक्ति जो एक गाड़ी खरीदता है

अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद किराए पर रिक्शा चलाना एक उपभोक्ता होगा। इसी तरह, एक ट्रक का खरीदार जो इसे सार्वजनिक वाहक के रूप में चलाने के लिए खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा। एक व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को संचालित करने के लिए खराद मशीन या अन्य मशीन खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा। (उपरोक्त दृष्टांतों में, यदि ऐसा खरीदार वाहन या मशीनरी के संचालन में उसकी सहायता करने के लिए एक या दो व्यक्तियों की सहायता लेता है, तो वह उपभोक्ता बनना बंद नहीं करता है।) इसके विपरीत एक व्यक्ति

जो एक ऑटो-रिक्शा, एक कार या एक खराद मशीन या अन्य मशीन खरीदता है जिसे विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया या संचालित किया जाता है।

उपभोक्ता नहीं होगा। यह स्पष्टीकरण में "उनके द्वारा उपयोग की गई अभिव्यक्तियों" और "स्व-रोजगार के माध्यम से" से प्रवाहित होने वाली आवश्यक सीमा है। "अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" शब्दों के अर्थ में अस्पष्टता को शब्दों के अन्य दो समूहों द्वारा समझाया और स्पष्ट किया गया है। (जोर दिया गया)

8.2 विशेष रूप से, इस बात पर जोर दिया गया कि द्वारा की गई गतिविधि में सहायता के उद्देश्य से कुछ एनएस का रोजगार

ए. एस. ए. आर. स्वचालित रूप से व्यावसायिक गतिविधि को स्व-रोजगार और अपनी आजीविका कमाने के लिए नहीं बदलेगा; बल्कि, यह [2020] 5 एस. सी. आर. होगा।

9. हाथ में मामले में, हालांकि अपीलकर्ता ने यह पेश करने की मांग की है कि प्रतिवादी बड़े पैमाने पर और एक के साथ मुसली की खेती कर रहा था लाभ के उद्देश्य से, हम खुद को यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ पाते हैं कि की जा रही खेती स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए थी।

और किसानों से बीज पैदा करने का अनुरोध करता है ताकि वे इसका विपणन कर सकें। इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करके, और बीज कंपनी से नींव के बीज खरीदने के बाद, कृषक, कड़ी मेहनत और पसीने के साथ, बीज कंपनी द्वारा विपणन के लिए बीज का उत्पादन करता है। इस प्रकार, कृषक किसी भी उत्पाद को पुनर्विक्रय नहीं कर रहा है, बल्कि नींव के बीजों का उपयोग करके अपना उत्पाद उगाता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि कृषक को अपनी आजीविका के लिए अपने उत्पाद को खुले बाजार में या बीज कंपनी को बेचना पड़ता है। अन्य में शब्दों में, कृषक अपने उत्पाद को बेचकर खुद को बनाए रखता है। इसे धारा 2 (डी) के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे से बाहर लाने वाले "वाणिज्यिक उद्देश्य" को आगे बढ़ाने के लिए पुनर्विक्रय या गतिविधि नहीं कहा जा सकता है। बल्कि, यह विशुद्ध रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से है।

9.2 अपीलार्थी ने हम पर जो प्रभाव डालने की कोशिश की है, उसके विपरीत,

हम पाते हैं कि इस तरह के मामलों की तुलना औद्योगिक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से नहीं की जा सकती है, उदाहरण के लिए, जहां बिक्री के लिए तैयार माल का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल का उपयोग भी इस न्यायालय द्वारा पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया है। खनिज और धातु व्यापार निगम

इंडिया लिमिटेड (1996) 9 एस. सी. सी. 422]।

9.3 वास्तव में, हाथ में मामले में, प्रतिवादी एक गृहिणी है जिसने 1-1.5 एकड़ भूमि पर कृषि गतिविधि की है।

उसकी घरेलू आय बढ़ाने का उद्देश्य, और अगर अपीलार्थी ने फसल की पुनर्खरीद के लिए एक लाभदायक मूल्य का आश्वासन नहीं दिया होता, तो शायद उसने मुसली उगाने का काम नहीं किया होता। बेशक, हम इस संबंध में किसी भी अनुमान या अनुमान पर अपना निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। साथ ही, हमारी राय में, इस तथ्य पर कि अपीलार्थी द्वारा इस तरह के लाभदायक मूल्य की गारंटी दी गई थी, अब यह तर्क देने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि गतिविधि मेसर्स नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड है।

वी. S.AMBIKA देवी और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

प्रत्यर्थी द्वारा एक "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए किया गया था, ताकि इसे 1986 के अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सके।

10. हम विशेष रूप से इस तर्क को असमर्थनीय पाते हैं कि त्रिपक्षीय समझौता पुनर्खरीद को रोकने के आधार पर पुनर्विक्रय के बराबर होगा।

खंड, और इसलिए प्रत्यर्थी को "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे से बाहर कर देगा। इस संबंध में, हम राष्ट्रीय बीज निगम में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक पाते हैं। लिमिटेड वी. एम.

मधुसूदन रेड्डी, (2012) 2 एस. सी. सी. 506, जहां इस न्यायालय को कृषि और बीज उत्पादन में लगे किसानों द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायतों से उत्पन्न अपीलों पर विचार करना था, जिन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से बीज खरीदे थे, जो दोषपूर्ण साबित हुए थे, जिससे अंकुरण कम हुआ था। इनमें से कुछ किसानों ने समझौते किए थे जिसके तहत उन्होंने बीज कंपनी से नींव के बीज खरीदे थे और बीज उगाने और उन्हें लाभ के लिए कंपनी को वापस बेचने पर सहमत हुए थे। कंपनी ने उगाए गए बीजों को प्रमाणन के लिए अयोग्य होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या एक किसान को "उपभोक्ता" की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित बीजों को उस बीज निगम को वापस आपूर्ति करने की आवश्यकता थी जो नींव के बीज की आपूर्ति करता था, इस न्यायालय ने अभिव्यक्ति के दायरे और दायरे पर विस्तार पर ध्यान दिया।

" लक्ष्मी इंजीनियरिंग (उपरोक्त) में किए गए वाणिज्यिक उद्देश्य को निम्नानुसार देखा गया हैः

" 73. जिस बात पर जोर देने की आवश्यकता है वह यह है कि अपीलार्थी ने अपनी ओर से बीज उगाने के लिए क्षेत्र के किसानों के एक समूह का चयन किया था। चयनित किसानों के साथ समझौते करने के बाद, अपीलार्थी ने उन्हें इस आश्वासन के साथ कि कुछ महीनों के भीतर वे लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे, एक कीमत पर आधार बीज की आपूर्ति की। अपीलार्थी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की देखरेख में बीज बोए गए थे। अपीलार्थी को पूरी फसल खरीदनी थी। अपीलार्थी और उत्पादकों के बीच हुए समझौतों में स्पष्ट रूप से नींव के बीजों की आपूर्ति की बात कही गई थी

अपीलार्थी द्वारा इस आश्वासन के साथ कि फसल उसके द्वारा खरीदी जाएगी। यह न तो अपीलार्थी का अभिवचन मामला है और न ही कोई था

किसी भी उपभोक्ता मंच के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य कि उत्पादकों को खुले बाजार में या अपीलार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बीज बेचने की स्वतंत्रता थी। इसलिए यह संभव नहीं है।

यह विचार रखने के लिए कि उत्पादकों ने बीज पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदे थे और उन्हें [2020] 5 एस. सी. आर. से बाहर रखा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"उपभोक्ता" शब्द की परिभाषा। वास्तव में, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से पता चलता है कि उत्पादक अपने कौशल और श्रम का उपयोग करके अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से अपीलार्थी की ओर से बीज का उत्पादन करने के लिए सहमत हुए थे।

10.1 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि किसी किसान द्वारा उगाई गई फसल की बीज कंपनी द्वारा पुनर्खरीद के लिए एक समझौते को पुनर्विक्रय लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता है, और उसे 1986 के अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" होने के दायरे से बाहर नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार, तत्काल मामले में भी, यह तथ्य कि मुस्लिम फसल के लिए पुनर्खरीद समझौता था, प्रत्यर्थी को पुनर्खरीद व्यवस्था को पुनर्विक्रय लेनदेन या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करके "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे से बाहर नहीं लाएगा। हम इस बात पर जोर देते हैं कि यहां की तथ्य स्थिति मधुसूदन से इस हद तक अलग है कि तत्काल मामले में, प्रतिवादी को अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता थी यदि वह बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम थी। हालाँकि, जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, हमारी राय में, यह पहलू इस निष्कर्ष से दूर नहीं होगा कि प्रतिवादी ने आजीविका कमाने के उद्देश्य से मुस्लिम फसल उगाने के लिए एक समझौता किया था, क्योंकि एक कृषक को अपनी आजीविका कमाने के लिए हमेशा अपनी उपज बेचनी होगी।

11. इस मोड़ पर यह ध्यान देना उचित है कि अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा करने का प्रयास किया है।

यह तर्क देने के लिए कि प्रत्यर्थी को 1986 के अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" के रूप में नहीं माना जा सकता है, और हमें नीचे उसी पर विज्ञापन देना आवश्यक लगता है।

12. अपीलार्थी ने सिंको टेक्सटाइल्स (उपरोक्त) का उल्लेख किया है, जो 1993 के संशोधन से पहले तय किया गया एक मामला है, जहाँ राष्ट्रीय आयोग ने

राय दी कि बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक गतिविधियों को "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति जो बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले जनरेटर को खरीदता है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन करने वाली औद्योगिक संस्था में किया जाता है, वह "उपभोक्ता" नहीं होगा, क्योंकि जनरेटर का उपयोग सीधे लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से की जा रही गतिविधि के लिए किया जा रहा था। इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मी इंजीनियरिंग (ऊपर) में बरकरार रखा गया था, और हम इससे अलग होने का कोई कारण नहीं देखते हैं। साथ ही, उक्त निर्णय अपीलार्थी के बचाव में नहीं आ सकता है क्योंकि सिंको में तथ्यों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि खरीदा गया जनरेटर था

उत्पादन के लिए नियोजित जो एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था, और इसका कृषि क्षेत्र और एक "उपभोक्ता" के रूप में एक किसान की स्थिति से कोई लेना-देना नहीं था।

मेसर्स नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड। वी. S.AMBIKA देवी और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

13. हालाँकि, शक्ति शुगर लिमिटेड, उड़ीसा बनाम में निर्णय के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। श्रीधर साहू, II (1999) सीपीजे 4 (एनसी)। इस मामले में, प्रत्यर्थी किसान ने वित्तीय सहायता के लिए अपीलार्थी निगम के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उसके द्वारा उगाई गई गन्ने की फसल को उसे बेचने पर सहमति व्यक्त की गई थी। निगम, बदले में, किसान को डीजल पंप सेट और खोदे गए कुएं के लिए निर्दिष्ट स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए सहमत हो गया था। 1991-92 में, किसान ने अपनी फसल में अपर्याप्त उत्पादन प्राप्त किया। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे कुएँ और पंप की कमी के कारण अपने खेत की ठीक से सिंचाई नहीं कर पा रहे थे

और यह कि वह इस संबंध में ऋण प्राप्त करने में असमर्थ था क्योंकि अपीलार्थी उसी के लिए मार्जिन राशि जमा करने में विफल रहा था।

13.1 राष्ट्रीय आयोग, फल और सब्जी परियोजना, नई दिल्ली बनाम में लिए गए दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए। एन. शंकर रेड्डी, III (1994)

सी. पी. जे. 163 (एन. सी.) ने कहा कि एक विक्रेता 1986 के अधिनियम का लाभ नहीं ले सकता था, यह अभिनिर्धारित किया कि किसान "उपभोक्ता" नहीं था क्योंकि वह अपनी उपज विरोधी पक्ष को बेच रहा था। यह भी माना गया कि किसी भी मामले में, पक्षों के बीच एक अनुबंध से उत्पन्न विशिष्ट प्रदर्शन का मुद्दा उपभोक्ता विवाद का विषय नहीं हो सकता है। तत्काल मामले में अपीलार्थी ने अपने मामले को साबित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपनाए गए इस तर्क का उल्लेख किया है। हालाँकि, नीचे चर्चा किए गए कारणों के लिए, हमारा विचार है कि शक्ति शक्कर में व्यक्त कानून का प्रस्ताव गलत है।

13.2 शुरुआत में, शंकर रेड्डी में निर्णय का अवलोकन, जिस पर शक्ति शक्कर में भरोसा किया गया था, यह दर्शाता है कि उस मामले में,

राष्ट्रीय आयोग ने माना था कि एक किसान जो एक मध्यस्थ के माध्यम से अपनी उपज बेच रहा था, वह उपभोक्ता नहीं था। मध्यस्थ। उसमें शिकायतकर्ता एक बागवानीविद था जो आगे की बिक्री के लिए एक मध्यस्थ को अपनी उपज बेच रहा था। एक खेप को गुणवत्ता और पैकेजिंग से संबंधित मानकों का पालन न करने के लिए मध्यस्थ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन माल की खराब होने वाली प्रकृति को देखते हुए, शिकायतकर्ता ने निपटान में मदद के लिए मध्यस्थ से अनुरोध किया, जिसने एक निर्दिष्ट मूल्य पर एक अधिकृत कमीशन एजेंट के माध्यम से खेप की बिक्री की व्यवस्था की। शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मध्यस्थ शिकायतकर्ता को वादा की गई पूरी राशि का भुगतान करने में विफल रहा था। इन तथ्यों पर, राष्ट्रीय आयोग ने

अभिनिर्धारित किया कि शिकायतकर्ता के अनुरोध के साथ बाध्य करते हुए, मध्यस्थ केवल एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, और वह भी केवल शिकायतकर्ता को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यदि [2020] 5 एस. सी. आर.

बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किए, खेप बिना बिकी रही। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता था कि मध्यस्थ ने विचार के लिए सेवा प्रदान करने का बीड़ा उठाया था।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि भले ही यह माना गया हो कि मध्यस्थ ने एक समझौते के संदर्भ में सामान खरीदा था पक्षों के बीच, तथ्य यह रहा कि इस तरह के लेन-देन में, यह किसान था जो एक विक्रेता था, और 1986 के अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" नहीं माना जा सकता था।

13.4 यह स्पष्ट है कि शक्ति शुगर में, किसान और निगम के बीच ऋण प्राप्त करने में सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट समझौता था, जो एक सेवा प्रदान करने के बराबर था, एक ऐसी कमी जिसमें 1986 के अधिनियम के तहत कार्रवाई का कारण पैदा होगा। इस प्रकार, किसान विशुद्ध रूप से विक्रेता नहीं था और निगम से सेवाओं का लाभ भी उठा रहा था। इस संबंध में शंकर रेड्डी पर निर्भरता उचित नहीं रही होगी।

13.5 हम यह भी पाते हैं कि यह विचार कि उपभोक्ता विवाद नहीं हो सकता है

संविदात्मक व्यवस्था से उत्पन्न होना गलत है क्योंकि यह 1986 के अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत स्पष्ट शर्त का उल्लंघन है कि सेवा में कमी "गुणवत्ता, प्रकृति और प्रदर्शन के तरीके में किसी भी दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता से उत्पन्न हो सकती है जिसे किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत बनाए रखने की आवश्यकता है या किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुबंध के अनुसरण में या किसी भी सेवा के संबंध में अन्यथा किया जाना है"।

13.6 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि शक्ति शक्कर पर यह तर्क देने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि एक किसान जो अपनी उपज बेच रहा है, वह किसी भी तरह की कटौती नहीं कर सकता है। 1986 के अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" के लिए परिस्थिति राशि। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, ऐसे मामलों में जहां किसान ने माल खरीदा है या

आजीविका के लिए उपज उगाने के लिए सेवाओं का लाभ उठाते हुए, यह तथ्य कि उक्त उपज विक्रेता या सेवा प्रदाता या किसी तीसरे पक्ष को वापस बेची जा रही है, किसान के रास्ते में "उपभोक्ता" के बराबर नहीं हो सकता है।

14. अपीलार्थी ने विम्को लिमिटेड बनाम में राष्ट्रीय आयोग के निर्णय का भी उल्लेख किया है। अशोक सेखों, II (2008) सीपीजे 210 एम/एस नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड।

वी. S.AMBIKA देवी और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

(एनसी)। इस मामले में शिकायतकर्ता ने एक निगम के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और उन्हें बेचने के लिए 1800 पॉप्लर प्रत्यारोपण खरीदे थे

निगम को लौटें। राष्ट्रीय आयोग ने सिंको टेक्सटाइल्स (ऊपर) में अपने पूर्व निर्णय और लक्ष्मी इंजीनियरिंग (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख इस सिद्धांत के लिए किया कि "वाणिज्यिक उद्देश्य" खंड के लिए "स्व-रोजगार" अपवाद केवल तभी लागू होता है जब खरीदार द्वारा खरीदे गए सामान का उपयोग खरीदार द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को नियोजित करके किया जाता है। यह माना गया कि 9 एकड़ के खेत में 1800 पेड़ों का रोपण, और वह भी पुनर्विक्रय के लिए, स्व-रोजगार स्तर पर और वाणिज्यिक उद्देश्य के बिना नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता को 1986 के अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना गया था। हम पाते हैं कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि इसमें दिए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पेड़ों को "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए उगाया जा रहा था, जो कि यहां नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा उद्धृत एन. सी. डी. आर. सी. 7. यह भी एक ऐसा मामला था जिसमें सरकार द्वारा प्रदान किए गए नींव के बीजों की मदद से उत्पादित बीजों की पुनर्खरीद शामिल थी। बीज कंपनी। बीज कंपनी ने विभिन्न प्रकार के जूट के लिए अपने बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसानों से संपर्क किया था और उन्हें उत्पादित बीज के प्रति कुंतल एक निश्चित न्यूनतम खरीद मूल्य का आश्वासन दिया गया था। फसल के खराब अंकुरण के कारण खेती के तहत क्षेत्र को बीज कंपनी के प्रमाणन से हटा लिया गया था, जिससे खेती के लिए भारी नुकसान हुआ था।

किसान, जिनके आधार पर उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की गईं। 15.1 पृथ्वीराज में राज्य आयोग ने शक्ति शुगर (उपरोक्त) में लिया गया विचार अपनाया था कि एक विक्रेता को उपभोक्ता के रूप में नहीं माना जा सकता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि चूंकि शिकायतकर्ताओं ने पुनर्खरीद लेनदेन किया था, वे विक्रेता के रूप में कार्य कर रहे थे और इसलिए उन्हें उपभोक्ता के रूप में नहीं माना जा सकता था। इस दृष्टिकोण को राष्ट्रीय आयोग द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसने विम्को (ऊपर) में निर्णय पर भी भरोसा रखा था।

15.2 जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, हम खुद को शक्ति शक्कर में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। इसके अलावा, कारणों से

पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, और विशेष रूप से मधुसूदन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, हम पाते हैं कि पृथ्वीराज में राष्ट्रीय आयोग ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि पुनर्खरीद लेनदेन करने से किसान को 1986 के अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" के रूप में लाभ लेने से रोका जा सकेगा।

16. इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह ध्यान देने के लिए विवश महसूस करते हैं कि भारतीय कृषि परिदृश्य, आज, बहुत संकटग्रस्त स्थिति में है।

किसानों को ऊपरी मिट्टी की कमी, जहरीले उर्वरकों और कीटनाशकों के कारण भोजन, पानी और मिट्टी के संदूषण और मौसम की अनिश्चितताओं जैसी गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं से निपटना पड़ता है, जो जलवायु के बिगड़ने के साथ अधिक से अधिक गंभीर और अप्रत्याशित होती जा रही हैं। देश के कुछ हिस्सों में, जैसे कि पंजाब में, कीटनाशकों का उपयोग इतना विषाक्त है कि कैंसर जैसी बीमारियों की अभूतपूर्व घटनाओं को जन्म दिया है। खेतों के मशीनीकरण ने निस्संदेह कई क्षेत्रों को जन्म दिया है देश की खाद्य सुरक्षा में प्रगति हुई है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

16.1 फसल विविधीकरण और आवर्तन जैसी प्रथाएं, जो प्रजातियों की विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृषि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, और खेती के पारंपरिक रूपों में निर्मित हैं, सभी आकारों के निगमों द्वारा भारतीय खेत में की जा रही बढ़ती पैठ से खतरे में हैं, जो उपज में वृद्धि और आकर्षक रिटर्न के वादे के साथ आती हैं। यह बीजों की बिक्री के संबंध में भी सच है, भले ही भारतीय कानून बीजों सहित पादप सामग्री को पेटेंट से बचाता है। 16.2 अधिकांश भारतीय किसानों के पास केवल छोटी भूमि है, जिसके लिए सिंचाई, बिजली, बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे महंगे निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन उत्पन्न नहीं करते हैं। यद्यपि भारत में छोटे किसानों पर बीज कंपनियों का प्रभाव अभी न्यूनतम है, जब ऐसी छोटी भूमि वाले कृषक बीज कंपनियों द्वारा निर्धारित शर्तों पर फसलें उगाने के लिए समझौते करते हैं, तो यह कुछ लाभ अर्जित करने की उम्मीद में है जो उनके निवेश की लागत की भरपाई करेगा और परिवार के लिए कुछ आय उत्पन्न करेगा। अक्सर, फसलों को श्रम और मशीनीकरण के गहन उपयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए, तत्काल मामले जैसे समझौते अक्सर किसान को तकनीकी और वित्तीय सहायता की गारंटी देते हैं ताकि वह सक्षम हो सके

सौदे के अपने अंत का निर्वहन करें। कहने की जरूरत नहीं है कि फसल की सफलता या विफलता पूरे मौसम के लिए किसान की आय को कम या कम कर देगी। इसके परिणामस्वरूप ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ छोटे और मध्यम स्तर के किसान खुद को अनुबंधों में फंसते हुए पाते हैं जहाँ वे महंगे खरीदते हैं।

बीज जो दोषपूर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक असफल मौसम और गंभीर वित्तीय कठिनाई होती है। ऋणग्रस्तता की समस्या किसान की दुर्दशा को और खराब कर देती है, और अक्सर, आत्महत्या की त्रासदी में प्रकट होती है। किसानों की आत्महत्या वास्तव में एक प्रणालीगत मुद्दा है जो पिछले कुछ दशकों से बना हुआ है, और शायद बदतर हो गया है।

मेसर्स नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड। वी. S.AMBIKA देवी और ओआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

16.3 1986 के अधिनियम के तहत किसान के लिए उपलब्ध संक्षिप्त निवारण एक ऐसे क्षेत्र में तत्काल राहत प्रदान करने का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है जो पहले से ही कई मामलों में तनाव का सामना कर रहा है। निस्संदेह, बीज कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का सामना करने वाले किसान, उपयुक्त मामलों में, अन्य उपायों का विकल्प चुन सकते हैं जैसे कि दीवानी मुकदमा, बीज के तहत राहत अधिनियम, 1966 (जिसका सुधार कुछ समय से प्रक्रिया में है) आदि। लेकिन ऐसे किसानों को 1986 के अधिनियम के दायरे से बाहर करना क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य का पूरी तरह से मजाक होगा।

16.4 हम बीज के बीच बढ़ती प्रवृत्ति से चिंतित हैं।

17. इस प्रकार, हमें राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है जिसमें यह पुष्टि की गई है कि प्रतिवादी एक "उपभोक्ता" है। 1986 के अधिनियम के अर्थ के भीतर, और तत्काल अपील को खारिज कर दें। संबंधित जिला मंच इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायतों को सुनेगा और उनका फैसला करेगा। अपीलार्थी पर रुपये की लागत लगाई जाती है। 25,000 / - प्रत्यर्थी को देय।

सिविल अपील सं। 7358-7376 / 2010

18. ये अपील सिविल अपील संख्या 7357/2010 के समान तथ्यों से उत्पन्न होती हैं। इसलिए, उन्हें उक्त अपील में पारित आदेश के संदर्भ में खारिज कर दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपये की लागत। 25,000 / - इन अपीलों में से प्रत्येक में अपीलार्थी द्वारा भुगतान किया जाना है, जिसे उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना है। प्रत्येक अपील में उत्तरदाता।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान